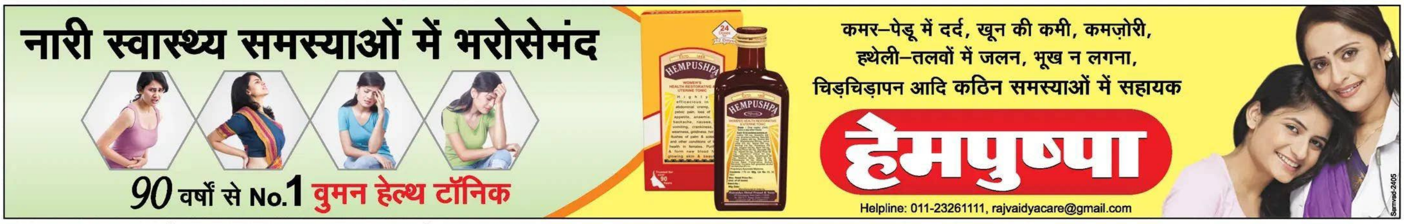

अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का पर्दाफाश जापान के बुजुर्गों को बनाते थे शिकार

पीडीडीयू नगर में एक कमरे में चल रहा था साइबर ठगी का कॉल सेंटर, 8 पर प्राथमिकी, 5 गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

पीडीडीयू नगर (चंदौली)। जापान के बुजुर्गों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का चंदौली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्वाट, सर्विलांस, साइबर सेल और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी स्थित एक इमारत में चल रहे फर्जी साइबर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संचालक समेत तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

पुलिस ने एक आरोपी के दो बैंक खातों में जमा नौ लाख रुपये फ्रीज कराए हैं। प्रारंभिक जांच पता चला है कि ठगी की रकम चीन के खातों में जाती थी और हवाला के जरिये भारत आती थी। पुलिस अन्य एजेंसियों की मदद से आरोपियों संपत्तियों और विभिन्न खातों में जमा धनराशि की जांच कर रही है।

पुलिस के गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपी। स्रोत: जागरूक पाठक

इनकी हुई गिरफ्तारी : रौनक सिंह (32) निवासी सैदपुर, नालंदा, रोशन कुमार (21) निवासी नया बाईपास, विष्णुपथ, गया, अमन कुमार (23) निवासी मंगला बोरिंग, गया, अंकित (25), निवासी नीमडीह, रूपौ, नवादा और विकास वैभव (25) निवासी वारिस नगर रामशिला, कोतवाली, गया शामिल हैं।

एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने प्रेसवार्ता में बताया कि कैलाशपुरी में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो कई कंप्यूटरों पर विदेशियों से लाइव कॉल चल रही थी। पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जापान के नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर झांसे में लेने की बात सामने आई। गिरोह में शामिल आरोपी जापानी भाषा जानते थे और इंटरनेट आधारित कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे।

बिहार के रहने वाले हैं आरोपी, वाराणसी के पते पर बनवाए थे आधार कार्ड

पुलिस के अनुसार ठगी की रकम म्यूल खातों में भेजी जाती थी। बताया कि छापे में 19 मॉनिटर, 20 सीपीयू, 19 की-बोर्ड, 18 माउस, 18 हेडफोन, तीन लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, चार राउटर/नेटवर्किंग उपकरण और पांच कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुए हैं। आधार कार्ड वाराणसी के पते पर बनाए गए थे। मामले में मुगलसराय थाने में आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर की गई है।

भदोही में स्कूल से पैदल घर लौट रहे कक्षा दो के छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौत

गोपीगंज/लालानगर (भदोही)। बुधवार को बॉयलर ट्रक की चपेट में आने से कक्षा दो के छात्र की मौत हो गई। छात्र सर्वोदय शिशु मंदिर के कक्षा दो में पढ़ता था। वह स्कूल से पैदल ही घर लौट रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में ले लिया।

विवान फाइल फोटो

गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 18 निवासी विजय मोदनवाल ने बताया कि आठ वर्षीय बेटा विवान सर्वोदय शिशु मंदिर, गोपीगंज में कक्षा दो का छात्र था। दोपहर में छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार एक बॉयलर ट्रक ने उसे टक्कर मारकर गिरा दी। इसके बाद भागने के चक्कर में उसे सीने के ऊपर चढ़ गया। हादसा इतना भीषण था कि बालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेने के साथ चालक को हिरासत में ले लिया। विवान दो भाइयों में छोटा था। संवाद

फर्जी व्यक्ति खड़ा कर पैतृक जमीन का बैनामा कराने का आरोप, तत्कालीन रजिस्ट्रार समेत 7 पर प्राथमिकी

आजमगढ़। पैतृक जमीन का फर्जी बैनामा कराने के आरोप में अतरौलिया पुलिस ने तत्कालीन रजिस्ट्रार बूढ़नपुर समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में संजय सिंह, शीला सिंह, प्रेमा देवी, अमित कुमार सिंह और रामसूरत यादव को नामजद किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन रजिस्ट्रार तहसील बूढ़नपुर और अन्य अज्ञात कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है।

मादेपुर निवासी गोविंद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी जगह फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर उनकी पैतृक जमीन का बैनामा करा दिया गया। इसके बाद जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया गया। पुलिस बैनामे से संबंधित अभिलेखों, गवाहों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। गोविंद ने 29 सितंबर को अतरौलिया थाने में दी तहरीर में बताया कि हंसेपुर सनूप निवासी संजय सिंह ने कथित तौर पर साजिश के तहत उनकी पड़ोसन प्रेमा देवी के माध्यम से उनकी पत्नी से पासबुक, पैनकार्ड और आधार कार्ड मंगवाए। उस समय गोविंद मुंबई में थे। पत्नी ने फोन पर दस्तावेज देने के संबंध में जानकारी दी तो उन्होंने मानवीय आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। संवाद

गंगा में उतराया मिला लापता युवक का शव

टांडाकला (चंदौली)। बलुआ थाना क्षेत्र के सरौली गांव के पास मंगलवार की शाम गंगा में 40 वर्षीय युवक का शव उतराया मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान प्रयागराज निवासी तुषार मित्तल पुत्र राकेश मित्तल के रूप में हुई। बलुआ थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि तुषार मित्तल 25 सितंबर से घर से लापता थे। उनकी बाइक यमुना नदी के पुल पर खड़ी मिली थी। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सार्वजनिक सूचना

श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह व श्री उपेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम नगीना सिंह द्वारा आराजी सं0–989/1, प्लाट सं0–7 व 8, वरूणा विहार कालोनी, मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, वार्ड–सिकरौल, जिला–वाराणसी पर होटल का निर्माण कराया गया है, जिसे शमनीय कराने हेतु प्राधिकरण में शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। वाराणसी महायोजना–2031 के अनुसार प्रश्नगत भूमि जिस पर होटल निर्मित है, का भू–उपयोग स्वीकृत ले–आउट के अनुसार आवासीय क्षेत्र है इस भू–उपयोग में वाराणसी महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार आवासीय क्षेत्र में होटल का निर्माण अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। प्रचलित वाराणसी महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर स0–1513 के बिन्दु स0–4 में यह प्राविधान है कि "प्रमुख भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत कुल विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुज्ञेय/सशर्त अनुज्ञेय/विशेष अनुमति से अनुज्ञेय हो) अनुज्ञेय किये जाने हेतु न्यूनतम 15 दिन की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। "चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख भू–उपयोग आवासीय है एवं होटल संचालन की क्रिया इस मूल उपयोग से इतर होने के कारण जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्राविधान के दृष्टिगत यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति/संस्था को प्रश्नगत होटल के शमन मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव भवन अनुभाग (जोन–1) वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

नगर नियोजक/
प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

सोनभद्र में तीन माह की बेटी की गला दबाकर हत्या में पिता को उम्रकैद

सोनभद्र। बेटे की चाहत में तीन माह की बेटी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पिता रजवंत को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि गंभीर मामलों में पर्याप्त दंड नहीं दिए जाने से सामान्य जन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होता है। अनपरा के खजुरा निवासी कविता ने पति रजवंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार 26 जुलाई 2022 की रात में कविता तीन माह की बेटी सौम्या को लेकर सोई थी, तभी रजवंत आया और बच्ची को जबरन उठाकर अपने पास सुला लिया। भोर में बच्ची मृत मिली थी। संवाद

मिजार्पुर : दिव्या मित्तल ने मुद्दा उठाया तो विद्यालय की जमीन का हुआ सीमांकन

ड्रमंडगंज (मिर्जापुर)। लहुरियादह गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की फाइल आगे बढ़ गई गई है। निर्माण का बजट 2025 में ही स्वीकृत हुआ था लेकिन जमीन का सीमांकन तक नहीं हो पाया था। पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने मुद्दा उठाया तो बीईओ प्रकाश चंद्र यादव और ग्राम प्रशासक कौशलेंद्र गुप्ता टीम के साथ बुधवार को गांव पहुंच गए। टीम ने आवंटित जमीन का सीमांकन कराया।

बीईओ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के प्रधानाध्यापक गंगा शंकर ओझा की देखरेख में भवन का निर्माण होगा। इसके लिए 25.58 लाख रुपये स्वीकृत हैं। तत्कालीन डीएम दिव्या मित्तल ने 2023 में लहुरियादह गांव का निरीक्षण किया था। इस बीच गांव की देवकली ने बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा उठाया। 2025 में बजट स्वीकृत हो गया लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं हो सका। संवाद

बीईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे, 2025 में ही मिले थे 25.58 लाख रुपये

विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 25.58 लाख रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य शुरु कराया जा रहा है। **-अनिल कुमार वर्मा,** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर

मां विंध्यवासिनी की दो दान पेटिकाएं खुलीं, निकले 20.37 लाख रुपये

विंध्याचल (मिर्जापुर)। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर परिसर और परिक्रमा पथ में रखी 27 दान पेटिकाओं में से बुधवार को दो पेटिकाएं खोली गईं। नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की देखरेख में सुबह 11 बजे शुरू हुई धनराशि की गिनती शाम तक चली। दोनों दान पेटिकाओं से कुल 20 लाख 37 हजार 259 रुपये प्राप्त हुए। गिनती पूरी होने के बाद प्राप्त रकम को विंध्य विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के भारतीय स्टेट बैंक, विंध्याचल शाखा स्थित खाते में जमा करा दिया गया। संवाद

आय से 89.51 लाख अधिक खर्च, गाजीपुर कृषि कार्यालय के प्रधान सहायक पर केस

लखनऊ। उप्र सतर्कता अधिष्ठान की वाराणसी इकाई ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय गाजीपुर के प्रधान सहायक गिरीश चंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। जांच में उनकी ज्ञात और वैध आय के मुकाबले करीब 89.51 लाख रुपये अधिक व्यय पाया गया है। शासन के 23 अप्रैल 2025 के आदेश पर गिरीश चंद्र सिंह के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। जांच में निर्धारित अवधि के दौरान उनकी ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल आय 1,69,47,702 रुपये पाई गई।

वहीं परिसंपत्तियों के अर्जन और उनके भरण-पोषण पर 2,58,99,034 रुपये खर्च होने का उल्लेख है। इस तरह आय की तुलना में 89,51,332 रुपये अधिक व्यय पाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस अंतर के संबंध में गिरीश चंद्र सिंह की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। संवाद

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

बाइरैक
इग्नाइट इनोवेट इंक्यूबेट
birac
Ignite Innovate Incubate

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक)

(भारत सरकार का उद्यम)

ई-युवा योजना

ईम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यु एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशन रिसर्च

के अंतर्गत प्रस्तावों हेतु

चौथा राष्ट्रीय आह्वान

निम्न हेतु

बाइरैक संस्था के ई-युवा फेलो
उद्यमी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु लगभग **150 स्नातक कर रहे विद्यार्थियों** को सहायता प्रदान की जाएगी
*स्नातक पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बाइरैक संस्था के इनोवेशन फेलो
उद्यमिता परियोजनाओं को पूरा करने हेतु लगभग **27 स्नातकोत्तर या पोस्टडॉक्टरल विद्यार्थियों** को सहायता प्रदान की जाएगी

प्रमुख लाभ

- बायोटेक उद्यमशीलता परियोजनाओं के लिए फैलोशिप और वार्षिक अनुसंधान अनुदान
- किसी भी 9 ई-युवा केंद्रों के तहत इनक्यूबेशन समर्थन और बायोनेस्ट बायो-इनक्यूबेटरों द्वारा मार्गदर्शन
- युवा विचारों को बायोटेक ईकोसिस्टम के साथ एकीकृत करना

आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि: 01 अक्तूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन करें: www.birac.nic.in
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्तूबर 2026 (17:30 बजे)

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें :
डॉ. छाया चौहान, मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी-इन्क्यूबेशन : sped4@birac.nic.in
सुश्री हर्षिता भावसार, अधिकारी- इन्क्यूबेशन एवं ईडी : user-038@birac.nic.in

Tech-Perfect Solutions for the Nation's Defence
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु संकुल, जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूरु-560 013 द्वारा " सिविल / समग्र कार्यों और विभिन्न वर्गों के कार्यों के लिए ठेकेदारों का पंजीकरण " हेतु प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों को एम्पेनलमेंट में शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
पूर्व-अर्हता मानदंड तथा अन्य विवरण के लिए वेबसाइट https://eprocurebel.co.in देखें। सभी शुद्धिपत्र / सुधार / परिवर्तन, यदि कोई हो, https://eprocurebel.co.in पर जारी और उपलब्ध कराए जाएँगे। समाचार-पत्रों में शुद्धिपत्र / सुधार /परिवर्तन संबंधी सूचना जारी नहीं की जाएगी। इसलिए, संभावित एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे https://eprocurebel.co.in नियमित रूप से देखते रहें।

ह/-
उप महाप्रबंधक
(संविदा एवं क्रय / ई एस)

दिनांक : 01.10.2026

'हर एक काम देश के नाम'

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
National Institute of Technology Hamirpur
(An Institute of National Importance)

Online applications are invited for **PDF** and **Ph.D. admissions of September 2026, under Visvesvarya Scheme of MeitY,** in Department of Computer Science & Engineering and Department of Electronics & Communication Engineering for the Academic Year 2026-27. The last date for submitting the Application online is **14/10/2026.** For Information Brochure and other details please visit the institute website **https://www.nith.ac.in**

Dean (Academic)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा: प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन, पीडीआर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी 221010 (उत्तर प्रदेश)
E-mail: sarvar@bankofbaroda.com, website: www.bankofbaroda.bank.in, Mob. 9554959534

विक्रय सूचना
अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु
अनुगंत - IV-A
{(नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें)}

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई–निलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी/जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ''जो है, जहाँ है'', ''जो है जैसे है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर ई नीलामी/बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता/कानूनी वारिस/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ई.एम.डी.) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

नीलामी की तिथि 22.10.2026 समय दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 21.10.2026 या उसके पहले किया जायेगा।

क्र. स.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता/कानूनी वारिसों/ प्रोपराइटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया धनराशि	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक /भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
1.	**ऋणकर्ता:** मेसर्स श्री महाकाल इंटरप्राइजेज, पंजीकृत पता: ग्राम– बेन, थाना इलिया, बेन, चकिया, तहसील– चंदौली (उ.प्र.) 232103 **प्रोपराइटर:** श्री अभिषेक पुत्र श्री अरुण कुमार **जमानतकर्ता:** श्री चंद्र शेखर पाल पुत्र श्री मोहन पाल **दोनो निवासी:** ग्राम– बेन, थाना इलिया, बेन, चकिया, तहसील– चंदौली (उ.प्र.) 232103	सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय भूमि व भवन सहित जो **अराजी नं.**– 571, **क्षेत्रफल**– 0.2340 हेक्टेयर, **अराजी नं.**– 572, **क्षेत्रफल**– 0.0630 हेक्टेयर, **कुल 2 गाटा क्षेत्रफल**– 0.2970 हेक्टेयर यानि 2970 वर्ग मीटर, **मौजा**– वेन पट्टी लेहरा, **परगना**– केरामगरौर, **तहसील**– चकिया, **जिला**– चंदौली, श्री अभिषेक पुत्र श्री अरुण कुमार के नाम पर स्थित है। **चौहद्दी– पूर्व:** पक्की रोड चकिया इलिया मार्ग, **पश्चिम:** कलावती का खेत व अन्य, **उत्तर:** रोड बेन सिहर मार्ग, **दक्षिण:** राम चंद्र पाल का खेत व अन्य	₹ 34,10,975.55/- + दिनांक 08.01.2024 से ब्याज और अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	Rs. 86,60,000/- (आरक्षित धनराशि) 8,66,000/- (अग्रिम धनराशि) 25,000/- (बिड बढ़ोत्तरी धनराशि)	सांकेतिक कब्जा	दिनांक 21.10.2026 सांय 05:00 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें– www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं. 9554959534, ईमेल : sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क कर सकते है।

दिनांकित: 28.09.2026 स्थान: वाराणसी ह0 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा